न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 19/2019
आरसीएमएस नम्बर : 2019/00049

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी :–
बाबुसिंह पुत्र वगतावरसिंह राजपुरोहित, निवासी मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		ग्राम पंचायत जाणुन्दा मार्फत सरपंच ग्राम जाणुन्दा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन चौहान
अप्रार्थी अनुपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 15.02.2021

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कायम मिसल संख्या 14/2008–09 एवं प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 21.01.2009 तथा इसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 4124 दिनांक 14.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने अपने स्वामित्वसुदा व कब्जासुदा भुखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत जाणुन्दा के समक्ष आवेदन पेश किया। प्रार्थी द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत जाणुन्दा के समक्ष अपनी स्वामित्व सुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने जाति के कॉलम में अपनी जाति राजपूत अंकित की है तथा जो मिसल संख्या 14/08–09 कायम की है, उसमें भी उसकी जाति राजपूत ही दर्शाई गई है तथा मिसल में प्रार्थी की कहीं जाती राजपूत तो, कहीं राजपुरोहित अंकित है, साथ ही प्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा संख्या 4124 जारी किया गया है, उसमें जाति पुरोहित दर्ज की गई है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे का न तो नवीनीकरण करवाया जा सकता है, न ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है तथा न ही उक्त पट्टे का वह कानूनी रूप से कहीं उपयोग कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की जाति का सही अंकन नहीं किया है। अतः [illegible] जारी विक्रय विलेख एवं प्रस्ताव को निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया, पत्रावली [illegible] पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में [illegible] द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया है तथा प्रार्थी स्वयं अपने [illegible] जारी विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहता है। इस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की पालना में जारी किया है या नहीं। मूल रेकर्ड के अवलोकन से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्पष्ट है कि प्रार्थी जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसमें उसने जाति के कॉलम में राजपूत अंकित की है, जिसके आधार पर जो मिसल कायम की गई है, उसमें एवं आदेशिका में भी उसकी जाति राजपूत ही अंकित है। उक्त भूखण्ड के पट्टे बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.11.2008 को आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया है, वह कहां पर चरपा किया गया है। इसका अंकन उसके पुस्त भाग पर कहीं नहीं है, जो किए जाने के आज्ञापक प्रावधान है। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना नहीं की है। इसके पश्चात प्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा संख्या 4124 जारी किया गया है, उसमें उनकी जाति पुरोहित दर्ज की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी जो आवेदन किया है वह राजपूत जाति का व्यक्ति रूप में किया है तथा जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें जाति पुरोहित अंकित है। जो आपस में विरोधाभाषी तथ्य है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में जो विक्रय विलेख जारी किया है, वह पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पालना में जारी नहीं किया गया है, जिसे यथावत रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जाणुन्दा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मिसल संख्या 14/08-09 प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 21.01.2009 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4124 दिनांक 14.12.2009 को निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के मूल रेकर्ड ग्राम पंचायत जाणुन्दा को भिजवाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Bhan Singh Bhati
Date: 2021.03.05 17:56:04 IST
Reason: SelfAttested